उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
अधिसूचना
प्रकीर्ण
संख्या– 163 /XVIII(1)/2016-04(1)/2013
दिनांक: 29 फरवरी, 2016 ई0

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रेतर संशोधन क हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपाल (नायब तहसीलदार) (द्वितीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त लागू होगी।

नियम 3 खण्ड (ख) का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 3 खण्ड (ख) में जहां--जहां शब्द मुख्य राजस्व आयुक्त आ है वहां शब्द अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड रख दिया जायेगा।

नियम 18 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 18 में स्तम्भ--1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान स्तम्भ--2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. नियम 15 या नियम 16 के अधीन चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा नियत किया जाय, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पूर्व साढे चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	18. नियम 15 या नियम 16 के अ चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा किया जाय, जो सामान्यतः नवम्ब प्रथम दिवस होगा और इस नियम के अधीन तैनाती के पूर्व सा मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्या)
सचिव